न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल आर0ए0एस

पंचायत निगरानी सं 11/2017

प्रार्थी

कानाराम पुत्र मंगलाराम जाति प्रजापत, निवासी मोगड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. हरचंदराम पुत्र बक्ताराम जाति पटेल, निवासी गाँव मोगड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मोगड़ा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मोगड़ा तहसील लूणी।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 10 मिसल संख्या 9/2003–04 दिनांक 06.08.2004 जो कि ग्राम पंचायत मोगड़ा द्वारा जारी किया गया है।

उपस्थिति

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार व चन्द्रशेखर सियाग।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र चोपड़ा।

निर्णय दिनांक :–18.05.2018

यह पंचायत निगरानी प्राथी अभिभाषक द्वारा पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 10 मिसल संख्या 9/2003–04 दिनांक 0.08.2004 जो कि ग्राम पंचायत मोगड़ा द्वारा जारी किया गया को निरस्त करने हेतु पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी गांव मोगड़ा तहसील लूणी का निवासी है। प्राथी का पट्टासुदा रहवासी जायदाद ग्राम मोगड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है। जिसका पट्टा विलेख प्राथी के पिता मंगलाराम के नाम से ग्राम पंचायत मोगड़ा द्वारा पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 5/65–66 दिनांक 28.06.1965 दिनांक 14.03.1967 को जारी किया गया है। उक्त रहवासी जायदाद प्रार्थी का रहवास व कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। उक्त पट्टा 787 वर्गगज का जारी किया हुआ है।

प्रार्थी के उक्त पट्टासुदा भूमि में रहवासी जायदाद के पूर्व दिशा में 10–12 फुट चौड़ी एवं 53 फुट लम्बी गली है जो गली मौके पर मौजूद रही है। जिसका अंकन प्रार्थी के पट्टे में किया हुआ है। उक्त गली का उपयोग प्रार्थी एवं अप्रार्थी तथा सार्वजनिक रूप से भी किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त गली के मध्य के भाग में मौका पाकर पहले कच्ची सामाग्री डाली तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर उक्त सामाग्री हटा लेने का अप्रार्थी द्वारा आश्वासन दिया गया। परन्तु बाद में दिनांक 15.04.2017 को मौका पाकर गली के बीच में खडे खोदकर पीलर इत्यादि बनाने लगा, मना करने एवं समझाइश के बाद भी वह नहीं माना और निर्माण कार्य कर गली को बंद कर दिया।

प्रार्थी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी द्वारा उक्त गली का पट्टा स्वयं के नाम से होना बताया। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त पट्टे की जानकारी प्राप्त हुई। जबकि किसी भी रुप में गली का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र चोपड़ा ने अपना वकालातनामा प्रस्तुत किया। इस प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत कोर्ट मोगड़ा से प्राप्त किया गया। इस प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 03.04.2018 को सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत मोगड़ा द्वारा तथाकथित निगरानीधीन पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवैध रूप से वह मनमाने तौर पर गैरकानूनी तरीके से जारी किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी गांव मोगड़ा, तहसील लूणी का स्थाई निवासी है। प्राथी गांव मोगड़ा तहसील लूणी का निवासी है। प्राथी का पट्टासुदा रहवासी जायदाद ग्राम मोगड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है। जिसका पट्टा विलेख प्राथी के पिता मंगलाराम के नाम से ग्राम पंचायत मोगड़ा द्वारा पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 5/65–66 दिनांक 28.06. 1965 दिनांक 14.03.1967 को जारी किया गया है। उक्त रहवासी जायदाद प्रार्थी का रहवास व कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। उक्त पट्टा 787 वर्गगज का जारी किया हुआ है।

प्रार्थी के उक्त पट्टासुदा भूमि में रहवासी जायदाद के पूर्व दिशा में 10–12 फुट चौड़ी एवं 53 फुट लम्बी गली है जो गली मौके पर मौजूद रही है। जिसका अंकन प्रार्थी के पट्टे में किया हुआ है। उक्त गली का उपयोग प्रार्थी एवं अप्रार्थी तथा सार्वजनिक रूप से भी किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त गली के मध्य के भाग में मौका पाकर पहले कच्ची सामाग्री डाली तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर उक्त सामाग्री हटा लेने का अप्रार्थी द्वारा आश्वासन दिया गया। परन्तु बाद में दिनांक 15.04.2017 को मौका पाकर गली के बीच में खडे खोदकर पीलर इत्यादि बनाने लगा, मना करने एवं समझाइश के बाद भी वह नहीं माना और निर्माण कार्य कर गली को बंद कर दिया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी द्वारा उक्त गली का पट्टा स्वयं के नाम से होना बताया। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त पट्टे की जानकारी प्राप्त हुई। जबकि किसी भी रुप में गली का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के पिता को जारी पट्टा विलेख में विवादित भू–भाग को पूर्व दिशा में रास्ता व गली दर्शाया गया है। प्रार्थी के उक्त पट्टासुदा भूमि में रहवासी जायदाद के पूर्व दिशा में 10–12 फुट चौड़ी एवं 53 फुट लम्बी गली है जो गली मौके पर मौजूद रही है। जिसका अंकन प्रार्थी के पट्टे में किया हुआ है। उक्त गली का उपयोग प्रार्थी एवं अप्रार्थी तथा सार्वजनिक रूप से भी किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त गली के मध्य के भाग में मौका पाकर पहले कच्ची सामाग्री डाली तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर उक्त सामाग्री हटा लेने का अप्रार्थी द्वारा आश्वासन दिया गया। परन्तु बाद में दिनांक 15.04.2017 को मौका पाकर गली के बीच में खडे खोदकर पीलर इत्यादि बनाने लगा, मना करने एवं समझाइश के बाद भी वह नहीं माना और निर्माण कार्य कर गली को बंद कर दिया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर

अप्रार्थी को नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी द्वारा उक्त गली का पट्टा स्वयं के नाम से होना बताया। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त पट्टे की जानकारी प्राप्त हुई। जबकि किसी भी रुप में गली का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा विलेख संख्या 10 जो दिनांक 06.08.2004 को जारी किया को निरस्त किया जावें।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत को उक्त प्रकार के गली के भू–भाग का पट्टा जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, उक्त गली सभी ग्रामवासियों के आवागमन के रूप में उपयोग में लिया जा रहा था। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच जो अप्रार्थी के रिश्तेदार एवं सजातीय होने के कारण से पंचायतराज नियमों के विरुद्ध जाकर अप्रार्थी को गली के भाग का फायदा देने की नियत से तथाकथित पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपने निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियम विरुद्ध जाकर अप्रार्थी को 419 वर्गगज का पट्टा जारी किया है, जो गलत है। नियमानुसार वर्तमान में 300 वर्गगज तक का ही ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है।

अप्रार्थी संख्या 1 के योग्य अभिभाषक श्री जितेन्द्र चोपड़ा अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विलम्ब से पेश की है, देरी से पेश करने का कोई प्रार्थना–पत्र निगरानी से साथ प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि उसके पट्टासुद भूमि के पूर्व दिशा में गली एवं रास्ता आया हुआ हो, जिसका उपयोग और उपभोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा हो। यह भी गलत है कि अप्रार्थी उक्त सार्वजनिक गली को पट्टे के आधार पर अपना बताकर उस पर निर्माण कार्य करवा रहा हो। प्रार्थी जिस भू–भाग पर अप्रार्थी के द्वारा निर्माण कार्य कर गली को अवरूद्ध करने के तथ्य लिखे है, वह गलत है। अप्रार्थी द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है वह उसके पट्टासुद भूमि पर किया गया है। अप्रार्थी ने किसी गली पर निर्माण कार्य नहीं किया। प्रार्थी द्वारा जिस भूमि को सार्वजनिक गली होना बतलाया है, वह न तो सार्वजनिक है न ही किसी अन्य के काम आ रही है। तथाकथित गली से होकर केवल अप्रार्थी के मकान में ही जाया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य पूर्व में ही किया जा चुका था। जिसकी जानकारी प्रार्थी को भँलीभाति थी। वर्तमान में अप्रार्थी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि प्रार्थी ने इसी भूमि के संबंध में अप्रार्थी के विरूद्ध दीवानीवाद अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संख्या 3 जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेध आज्ञा का प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.05.2017 को खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा इसकी अपील सक्षम न्यायालय में की गई जो खारिज की गई। उनका यह भी कथन है कि प्राथी के द्वारा प्रस्तुत किये गये पट्टे में भी अप्रार्थी के दादा धर्माराम पटेल का मकान होना बतलाया है। अप्रार्थी के दादा व पिता का स्वर्गवास कई वर्ष पूर्व हो चुका है। अप्रार्थी ने इसी स्थान पर कच्चा मकान बना हुआ था जो अप्रार्थी ने पक्का बनवाया है। अप्रार्थी द्वारा पक्के मकान का निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद प्रार्थी ने यह निगरानी प्रस्तुत की जो चलने योग्य नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत मोगड़ा द्वारा वर्ष 2004 में नियमानुसार पंचायत नियम 157 के तहत दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा तमाम कानूनी कार्यवाही/औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात ही पट्टा जारी किया गया।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का भी अवलोकन किया एवं न्यायालय के पत्रावली का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत मोगड़ा कला के समक्ष पट्टा हासिल करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें पुराना पुस्तैनी कब्जासुद मकान होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का वर्षों पूराना कब्जा मौजूद है का अंकन है।

ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 हरचन्दराम पुत्र बक्ताराम, जाति पटेल, निवासी – मोगड़ा, तहसील लूणी को जारी पट्टा विलेख संख्या 10 जो दिनांक 06.08.2004 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(क) के तहत जारी किया गया है। नियम 157(क) जो पूराने गृहों को विनियमितिकरण का प्रावधान किया गया है। नियम 157(क) के अनुसार 50 वर्ष से पूर्व निर्मित मकानों हेतु सौ रूपये अदा करने पर पट्टा जारी करने का नियम है।

इस प्रकरण में यह भी तथ्य प्रकट हुए कि अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 266 रा. प. एंव न्याय प. स. नियम 1961 के अन्तर्गत मिसल सं0 5/65–66 पट्टा सं0 24 जो दिनांक 14.03.1967 को मंगलाराम पुत्र मानाराम कुम्हार को 787 वर्गगज का जारी किया गया। जिसके पड़ौसी निम्न प्रकार है–

1. पूर्व में– रास्ता गली व बारण
2. पश्चिम में– कानाराम, चैनाराम कुम्हार
3. उत्तर में– आम रास्ता व चोवटा व बारणा
4. दक्षिण में– मांगीलाल, डुंगरराम, पाबुराम कुम्हार

इस प्रकरण में अप्रार्थी सं0 एक हरचन्द पुत्र बक्ताराम पटेल निवासी मोगड़ा को ग्राम पंचायत मोगड़ा कला ने प्रारूप 23 (नियम 167) (1) के तहत मिसल सं0 9/2003–04 के जरिये पट्टा सं0 10 जो दिनांक 06.08.2004 को जारी किया गया। जिसके पड़ोसी निम्न प्रकार है–

1. उत्तर दिशा में– रास्ता
2. दक्षिण दिशा में– रास्ता
3. पूर्व दिशा में– खियारात पुत्र सोमाराम जाट व भैराराम पुत्र तुलछाराम
4. पश्चिम में– पाबुराम पुत्र भीखाराम व कानाराम पुत्र मंगलाराम।

उक्त पट्टा कुल 419.70 वर्गगज का जारी किया गया।

उपरोक्त दोनों पट्टा विलेख का अवलोकन करने पर यह स्थिति सामने आई की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.1967 जो मंगलाराम पुत्र मानाराम को जारी किया गया है उस पट्टे में पूर्व दिशा में रास्ता गली विद्यमान होना अंकित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 1 हरचन्द पुत्र बगताराम जाति पटेल निवासी

मोगड़ा को मिसल संख्या 9/2003–04 के जरिये पट्टा सं. 10 जो दिनांक 06.08.2004 को जारी किया गया। उक्त पट्टे में पश्चिम दिशा में गली नहीं होना दर्शाया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा विलेख संख्या 10 मिसल संख्या 9/2003–04 दिनांक 06.08.2004 जो ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा जारी किया गया को निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मोगड़ा कला पंचायत समिति लूणी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह ग्राम पंचायत मोगड़ा कला द्वारा मिसल संख्या 5/65–66 पट्टा सं0 24 जो दिनांक 14.03.1967 को मंगलाराम पुत्र कानाराम को जारी पट्टे से संबंधित मूल रेकर्ड का अध्ययन करे और यदि विवादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी हरचन्द पुत्र बक्ताराम जाति पटेल निवासी मोगड़ा कला को दिनांक 06.08.2004 को जारी पट्टा विलेख सं0 10 मिसल सं0 09/2003–04 संबंधित भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तो अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पंचायतीराज नियम के तहत पुनः पट्टा जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर